राष्ट्रीय संस्करण
CopyRight - Jagran.com

सात्विक-चिराग की जोड़ी ने थाइलैंड ओपन बैडमिंटन का जीता खिताब >> 12

दैनिक जागरण

वर्ष 3 अंक 56

मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, सोमवार, 5 अगस्त 2019

www.jagran.com

पृष्ठ 14

सरोकार

उत्तर प्रदेश में 'इल्म का नूर' बिखेर रहीं नूरजहां

लखीमपुर : स्कूल में बैठने के लिए डेस्क और बेंच नहीं है। बच्चे कच्ची फर्स पर

चीटियों के बिल के बीच बैठते हैं। इसके बाद भी हाजिरी सौ फीसद है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर स्थित राजेपुर कैमहरा प्राथमिक विद्यालय में तमाम अव्यवस्थाओं के बीच हेड मास्टर नूरजहां 'इल्म का नूर बिखेर रहीं हैं।' (पेज-13)

जागरण विशेष

राजौरी में ग्रामीणों ने बना डाली आठ किमी. सड़क

राजौरी : सरकारी तंत्र और जनप्रतिनिधि ने आंखें फेरीं तो ग्रामीणों ने खुद मोर्चा

संभाल लिया। जम्मू संभाग के राजौरी जिले के थन्नामंडी की तीन पंचायतों के लोगों ने दो दिन में दस लाख रुपये इकट्ठा किए और आठ किमी लंबी सड़क बना डाली। (पेज-13)

न्यूज गैलरी

सिटी न्यूज ▶ पृष्ठ 2

एम्स के रेजिडेंट डॉक्टरों ने वापस ली हड़ताल

नई दिल्ली : केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन से मुलाकात के बाद अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के रेजिटेंड डॉक्टरों ने हड़ताल वापस ले ली। उम्मीद है कि सोमवार को एम्स सहित दिल्ली के ज्यादातर अस्पतालों में सामान्य रूप से ओपीडी व इमरजेंसी सेवाओं का संचालन होगा।

राज-नीति ▶ पृष्ठ 3

कांग्रेस ने नए अध्यक्ष का फैसला करने को बुलाई बैठक

नई दिल्ली : कांग्रेस ने राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद नए नेतृत्व पर असमंजस के लंबे दौर का अंत करने के लिए आखिरकार 10 अगस्त को कार्यसमिति की बैठक बुलाने का फैसला किया है। कार्यसमिति की इस बैठक में राहुल का इस्तीफा स्वीकार कर कांग्रेस के नए अंतरिम अध्यक्ष का चयन किया जाएगा।

नेशनल न्यूज ▶ पृष्ठ 6

मुंबई सहित आधे महाराष्ट्र पर बारिश का कहर

मुंबई : देश की आर्थिक राजधानी मुंबई सहित आधे महाराष्ट्र पर बारिश का कहर रविवार को भी जारी रहा। ठाणे, पालघर, नासिक और पुणे में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए एनडीआरएफ के साथ सेना के तीनों अंगों को मोर्चा संभालना पड़ा है। ठाणे में एमआइ 17 हेलीकॉप्टर ने 38 लोगों को सुरक्षित निकाला। मुंबई व सतारा में बारिश से पांच लोगों की मौत हुई है।

बिजनेस ▶ पृष्ठ 10

5जी स्पेक्ट्रम का बेस प्राइस कम रखे सरकार : सीआइआइ

नई दिल्ली : उद्योग जगत की संस्था भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआइआइ) ने मोदी सरकार से 5जी स्पेक्ट्रम का बेस प्राइस कम रखने का अनुरोध किया है। सीआइआइ का कहना है कि इस तरह की रेडियोवेव का बेस प्राइस ऊंचा रखने से दूरसंचार क्षेत्र का तेज विकास बाधित हो सकता है और जनता दूरसंचार सेवाओं से दूरी बना सकती है। स्पेक्ट्रम नीलामी इस वर्ष की तीसरी तिमाही में हो सकती है।

दोषी अफसरों पर चलेगा केस, डीएम-एसपी हटाए गए

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

सोनभद्र नरसंहार

- जांच रिपोर्ट पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की बड़ी कार्रवाई
- एक एएसपी, तीन सीओ, तीन इंस्पेक्टर समेत कई फंसे

सोनभद्र नरसंहार से जुड़े घटनाक्रम की जांच रिपोर्ट सौंपे जाने के ठीक दूसरे दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को कड़ी कार्रवाई की है। सोनभद्र के जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल और पुलिस अधीक्षक सलमान जफर ताज पाटिल को हटाते हुए उनके खिलाफ अनुशासनात्मक जांच के आदेश दिये हैं। उनकी जगह एस. राजलिंगम को सोनभद्र में डीएम और प्रभाकर चौधरी को एसपी तैनात किया गया है।

योगी ने इस मामले में सहायक अभिलेख अधिकारी और सहायक निबंधक (कृषि सहकारी समिति) को निलंबित करते हुए कई अफसरों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। इन मामलों की जांच के लिए डीआइजी जे. रवींद्र गौड़ की अध्यक्षता में विशेष जांच दल यानी एसआइटी का गठन किया गया है।

मुख्यमंत्री ने रविवार को अपने सरकारी आवास पर सोनभद्र मामले की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करते हुए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की घोषणा की। योगी ने 17 जुलाई को उभ्भा में जमीनी विवाद में दस लोगों की हत्या और उसके पीछे सुनियोजित तरीके से ग्राम सभा की जमीन हड़पे जाने का ब्यौरा दिया। योगी ने बताया कि बिहार के कांग्रेस एमएलसी के प्रभाव में सोनभद्र के उभ्भा गांव में 1300 बीघा से अधिक जमीन को गलत ढंग से सोसाइटी के नाम करा दिया गया। योगी ने कहा कि 17 दिसंबर 1955 को गलत आदेश पारित करने वाले मीरजापुर के तत्कालीन तहसीलदार कृष्ण मालवीय के जीवित होने की संभावना नहीं है लेकिन यदि वह जीवित हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। 1989 में तैनात परगना अधिकारी अशोक कुमार श्रीवास्तव और तहसीलदार जयचंद्र सिंह यदि जीवित हैं तो उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराकर कार्रवाई होगी।

अभिलेख अधिकारी और सहायक निबंधक निलंबित : मुख्यमंत्री ने सहायक अभिलेख अधिकारी, सोनभद्र राजकुमार और सहायक निबंधक (कृषि सहकारी समितियां, वाराणसी) विजय कुमार अग्रवाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इन दो अधिकारियों सहित कुल आठ अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। गृह विभाग ने स्थानीय पुलिस के चार लोगों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी है। घटना की सूचना दिए जाने के बावजूद जानबूझकर ये लोग घटनास्थल पर नहीं पहुंचे थे। इसके अलावा क्षेत्राधिकारी से लेकर सिपाही स्तर के दस लोगों के खिलाफ विभागीय जांच भी होगी। कोर्ट के समुचित आदेश के बिना नामांतरण आदेश के पूर्व विवादित भूमि को खाली कराने के लिए प्रधान पक्ष से 1.42 लाख रुपये जमा कराने के लिए तत्कालीन अपर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार दीक्षित के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के साथ ही मुकदमा दर्ज होगा।

दो आइएएस अफसरों की पत्नियों पर भी दर्ज होगा मुकदमा पेज>>7

चंद्रयान-2 ने भेजीं पहली तस्वीरें

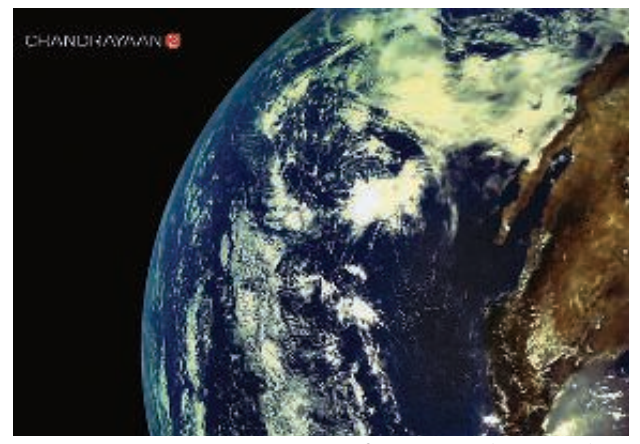

चंद्र मिशन पर निकला चंद्रयान-2 सफलतापूर्वक अपनी यात्रा पर अग्रसर है। चंद्रयान-2 ने पृथ्वी की खूबसूरत तस्वीरें भेजी हैं, जो यान में लगे विशेष कैमरों ने तीसरी बार कक्षा बदलने के बाद खींची हैं। इसरो ने यह तस्वीरें जारी की हैं। इसरो के मुताबिक 29 जुलाई को चंद्रयान-2 ने धरती की तीसरी कक्षा में प्रवेश किया था। (समाचार पेज-7 पर) प्रेट्र

जम्मू-कश्मीर पर बड़ा नीतिगत फैसला संभव

मंथन ▶ शाह की डोभाल और गृह सचिव से मंत्रणा, आज कैबिनेट की बैठक

बैठक में घाटी में सुरक्षा हालात, आतंकी हमले के खतरे और पाक से घुसपैठ पर चर्चा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- 35ए और 370 पर राजनीतिक दलों की बयानबाजी और गोलबंदी की कोशिशों पर विस्तार से हुआ विचार विमर्श
- सरकार को भरोसा- नहीं है घाटी में असंतोष का माहौल

अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल (फाइल फोटो)

कश्मीर घाटी में आतंकी खतरे, सुरक्षा तैयारियों और आगे की रणनीति पर विचार करने के लिए गृहमंत्री अमित शाह ने रविवार को उच्च स्तरीय बैठक की। संसद भवन स्थित अमित शाह के दफ्तर में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और गृह सचिव राजीव गौबा के साथ लगभग दो घंटे तक बैठक चली। बैठक के बाद फाइलों के साथ अतिरिक्त सचिव ज्ञानेश कुमार के शाह से मिलने के लिए पहुंचने को लेकर माना जा रहा है कि जम्मू-कश्मीर को लेकर कोई बड़ा नीतिगत फैसला भी हो सकता है। ज्ञानेश गृह मंत्रालय में कश्मीर मामले देखते हैं। शाह की इस बैठक को अहम इसीलिए भी माना जा रहा है क्योंकि सोमवार को कैबिनेट की भी बैठक बुलाई गई है। सामान्य रूप से बुधवार को होने वाली कैबिनेट बैठक को सोमवार को बुलाए जाने को कश्मीर से जोड़कर देखा जा रहा है।

वैसे तो हालात की संवेदनशीलता को देखते हुए शाह के साथ अजीत डोभाल और राजीव गौबा की बैठक के बारे में कुछ नहीं बताया जा रहा है, लेकिन उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार बैठक में घाटी में सुरक्षा की मौजूदा स्थिति, आतंकी हमले के खतरे की खुफिया रिपोर्ट और पाक से घुसपैठ के प्रयासों से लेकर 35ए और 370 के मुद्दे पर सियासी दलों की बयानबाजी व गोलबंदी की कोशिशों पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। साथ ही आतंकी खतरे के अनुरूप सुरक्षा तैयारियों की भी समीक्षा की गई।

सूत्रों की मानें तो सरकार महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला और अन्य राजनीतिक व अलगाववादी नेताओं की बयानबाजी को लेकर ज्यादा चिंतित नहीं है। ये सभी नेता लगातार 35ए और 370 को लेकर इसी तरह का बयान देते रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि राजनेताओं की तमाम बयानबाजी के बावजूद घाटी में स्थिति सामान्य बनी हुई है। हालात की अनिश्चितता को देखते हुए आम जनता भले ही जरूरी सामान इकट्ठा करने में लगी हो, लेकिन सरकार के खिलाफ किसी तरह का असंतोष और विरोध प्रदर्शन देखने में नहीं आया है। जबकि कश्मीर घाटी में हर छोटी-छोटी बातों पर उग्र प्रदर्शन शुरू हो जाते थे। जाहिर है आम जनता यदि आगे भी राजनेताओं और अलगाववादियों के प्रति यही रुख दिखाती है तो सरकार के लिए जम्मू-कश्मीर में सुधारों के एजेंडे के साथ आगे बढ़ना आसान हो जाएगा।

राज्यसभा में आज पेश होगा जम्मू-कश्मीर आरक्षण बिल

नई दिल्ली, एएनआइ : अमित शाह सोमवार को राज्यसभा में जम्मू-कश्मीर आरक्षण (द्वितीय संशोधन) बिल, 2019 पेश करेंगे। लोकसभा में यह बिल एक जुलाई को पास हो चुका है। संसद के उच्च सदन में अगर यह बिल पास हो जाता है तो राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) को शैक्षिक संस्थाओं और सरकारी नौकरियों में 10 फीसद आरक्षण मिलने लगेगा।

एक्जीक्यूटिव आदेश से हटाया जा सकता है अनुच्छेद 35ए

नई दिल्ली : कश्मीर पर इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा कश्मीर के निवासियों को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 35ए की है, जो देश के अन्य हिस्सों में रहने वालों और कश्मीरी लोगों में भेद करता है। संविधानविदों की मानें तो 35ए जैसे एक्जीक्यूटिव आर्डर से संविधान में शामिल हुआ था वैसे ही हटाया जा सकता है। (पेज-5)

कश्मीर में हलचल

सुरक्षा का जायजा लेने के लिए कश्मीर का दौरा कर सकते हैं पेज>>5
विशेष दर्जे से न हो छेड़छाड़ : महबूबा पेज>>5

सेंगर के करीबियों समेत 17 ठिकानों पर छापे

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

उन्नाव दुष्कर्म कांड

- दुष्कर्म मामले में आरोपित शशि सिंह के बेटे को लिया हिरासत में, जेल में विधायक से भी पूछताछ

उन्नाव (माखी) दुष्कर्म पीड़िता की कार हादसे की जांच कर रही सीबीआइ ने रविवार को आरोपित विधायक कुलदीप सेंगर के करीबियों समेत लखनऊ, उन्नाव, बांदा, फतेहपुर समेत 17 ठिकानों पर छापेमारी कर साक्ष्य जुटाए। सीबीआइ ने सीतापुर जिला जेल में बंद कुलदीप सेंगर से भी पूछताछ की। सीबीआइ ने सड़क हादसा मामले में नामजद आरोपितों विधायक के भाई मनोज सिंह सेंगर, विनोद मिश्र, हरिपाल सिंह, कोमल सिंह, अरुण सिंह, ज्ञानेंद्र सिंह, रिंकू सिंह और अवधेश सिंह समेत नौ लोगों को सोमवार को पूछताछ के लिए लखनऊ तलब किया है।

सीबीआइ की टीम ने सड़क हादसे के साथ ही दुष्कर्म की जांच में भी तेजी ला दी है। पीड़िता को धमकाने के मामले में नवीन सिंह को हिरासत में लेकर पूछताछ की। नवीन दुष्कर्म मामले में अभियुक्त और विधायक की करीबी शशि सिंह का बेटा है। पीड़िता की मां और बहन लगातार नवीन पर धमकाने का आरोप लगा रही थीं।

आरोपित विधायक कुलदीप सेंगर को उत्तर प्रदेश की सीतापुर जिला जेल से पुलिस सुरक्षा में दिल्ली जेल लाया गया। एएनआइ

पीड़िता के गांव पहुंची टीम : सीबीआइ की 18 सदस्यीय टीम पीड़िता के गांव पहुंची और उस कमरे की भी छानबीन की जहां विधायक पर दुष्कर्म का आरोप लगाया गया है। विधायक के घर की भी सघन तलाशी ली। घर पर मौजूद नौकरों से भी पूछताछ हुई।

विधायक की बहन और भाई के घर भी दी दस्तक : सीबीआइ विधायक की बहन और भाई के घर भी पहुंची। टीम बांदा स्थित ट्रक क्लीनर मोहन और फतेहपुर में ट्रक ड्राइवर आशीष पाल व मालिक के घर भी पहुंची।

सेंगर ने कहा, ईश्वर मुझे न्याय देगा : दिल्ली जाने से पहले सेंगर ने पत्रकारों से कहा, ईश्वर मुझे न्याय देगा। सीबीआइ विधायक को सोमवार को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में पेश करेगी। कोर्ट ने दुष्कर्म मामले में सेंगर, शशि सिंह के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी किया है।

दुष्कर्म पीड़िता की हालत नाजुक, फेफड़ों में संक्रमण बरकरार पेज>>6

दिल्ली में जेएनयू की छात्रा से कैब चालक ने किया दुष्कर्म

राकेश कुमार सिंह, नई दिल्ली

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) की छात्रा को नशीला पदार्थ खिलाकर कैब चालक ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। वह छात्रा को तीन घंटे से अधिक समय तक दिल्ली की सड़कों पर घुमाता रहा, फिर आइआइटी के पास फेंककर फरार हो गया। वारदात ने एक बार फिर विदेशी कैब कंपनियों को कठघरे में खड़ा कर दिया है।

पीड़ित युवती मूलरूप से उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 2 अगस्त को उसके दोस्त का जन्मदिन था। पार्टी में शामिल होने के लिए वह शाम को कनॉट प्लेस गई थी। रात करीब 8 बजे युवती ने मंदिर मार्ग स्थित एक मंदिर के बाहर से जेएनयू के लिए कैब ली। रास्ते में कैब चालक ने उसे नशीला पदार्थ खिला दिया, जिससे वह बेहोश हो गई। इसके बाद उसने कैब में ही कहीं उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद तीन घंटे से अधिक समय तक वह छात्रा को घुमाता रहा। रात करीब 12 बजे वह युवती को आइआइटी के नजदीक हौजखास के एक पार्क के पास फेंककर फरार हो गया। रातभर युवती पार्क के पास ही पड़ी रही। अगले दिन सुबह 8 बजे राहगीरों ने उसको देखा तो पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने युवती को एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया। उपचार के बाद 4 अगस्त की सुबह डॉक्टरों ने उसे छुट्टी दे दी।

जेएनयू प्रशासन ने वसंतकुंज थाने की पुलिस को जानकारी दी। मेडिकल में दुष्कर्म की पुष्टि के बाद केस मंदिर मार्ग थाना पुलिस को सौंप दिया गया। पुलिस कैब व चालक की पहचान करने के लिए सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। युवती पर नशे का प्रभाव है। इससे वह कुछ भी ठीक से बता नहीं पा रही है।

सांसद वोट न देने वालों का भी दिल जीतें : मोदी

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा सांसदों को सकारात्मक सोच के साथ आगे

बढ़ने और जिन लोगों ने चुनाव में वोट नहीं दिया है, उनका भी दिल जीतने की कोशिश जारी रखने की सलाह दी है। भाजपा सांसदों के दो दिन के अभ्यास वर्ग में सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में सांसदों को पूरी तरह से अवगत कराने के लिए मंत्रियों की ओर से 20-25 सांसदों के समूह को भोजन पर आमंत्रित करने का फैसला लिया गया। दोनों ही दिन प्रधानमंत्री खुद को पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में पेश करते हुए बीच की पंक्तियों में बैठे दिखे। अभ्यास वर्ग को मोदी के अलावा भाजपा अध्यक्ष व गृहमंत्री अमित शाह, कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई नेताओं ने संबोधित किया। (पेज-3)

महबूबा और उमर नजरबंद, इंटरनेट सेवाएं ठप

राज्य ब्यूरो, जम्मू

जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने की चर्चा के बीच राज्य प्रशासन ने कश्मीर के नौ जिलों में आधी रात को मोबाइल इंटरनेट सेवाएं आंशिक रूप से बंद कर दीं हैं। प्रशासन ने यह कदम अहतियात के तौर पर उठाए हैं। दो पूर्व मुख्यमंत्रियों महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला को नजरबंद किए जाने की खबर है। खुद महबूबा और उमर ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है।

उमर बोले, शांत बने रहें लोग : पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आशंका जताई कि उन्हें और मुख्य धारा के अन्य नेताओं को सरकार रात को घरों में ही नजरबंद कर सकती है। उमर ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है।

उमर ने ट्वीट किया कि इंटरनेट सेवाएं बंद करके प्रशासन रात को ही अघोषित कर्फ्यू लगा देगा। इसके बाद उन्होंने लिखा कि सरकार ने कश्मीर के मुख्य धारा के नेताओं को घर में ही नजरबंद करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। उन्हें लगता है कि आधी रात को उन्हें भी घर में नजरबंद किया जाएगा। उन्होंने लिखा कि उन्हें नहीं पता कि क्या होने वाला है, लेकिन उन्हें विश्वास है कि अल्लाह ने जो भी सोचा होगा, सभी की भलाई के लिए ही होगा। उन्होंने सभी को शुभकानाएं दी और शांत और सुरक्षित रहने को कहा। वहीं, कश्मीर विश्वविद्यालय ने पांच अगस्त से 10 अगस्त तक सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं।

महबूबा ने कहा, आज की रात लंबी होगी : पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया कि इस मुश्किल घड़ी में क्या होगा। मुझे नहीं पता कि क्या होने वाला है, लेकिन एक बात साफ है कि हम एकजुट हैं और संघर्ष करेंगे। उन्हें यह जानकारी मिल रही है कि मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं और लोगों को कर्फ्यू पास जारी कर दिए गए हैं। खुदा जानता है कि कल क्या होगा यह आज की रात बहुत लंबी रात होगी।

VISIONIAS INSPIRING INNOVATION
LIVE/ONLINE Classes Available
www.visionias.in

फाउंडेशन कोर्स
सामान्य अध्ययन 2020
6 Aug | 9 AM

इनोवेटिव क्लासरूम प्रोग्राम के घटक
- प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज
- मौलिक अवधारणाओं की समझ के विकास एवं विश्लेषणात्मक क्षमता निर्माण पर विशेष ध्यान
- निबंध लेखन - शैली, PT 365, Mains 365, सीसैट कक्षाएं
- मुख्य परीक्षा, निबंध, PT, सीसैट टेस्ट सीरीज

अभ्यास मेन्स 2019
ऑल इंडिया GS मेन्स मॉक टेस्ट (ऑफलाइन)
30 शहरों में Also in English Medium
GS-I & GS-II 24 अगस्त | GS-III & GS-IV 25 अगस्त
पंजीकरण करें www.visionias.in/abhyaas
AHMEDABAD | BENGALURU | BHOPAL | BHUBANESWAR | CHANDIGARH | CHENNAI | COIMBATORE
DEHRADUN | DELHI | GHAZIABAD | GREATER NOIDA | GUWAHATI | HYDERABAD | INDORE | JAIPUR
JAMMU | JODHPUR | KANPUR | KOLKATA | LUCKNOW | MUMBAI | PATNA | PRAYAGRAJ | PUNE
RAIPUR | RANCHI | SHIMLA | THIRUVANANTHAPURAM | VARANASI | VISAKHAPATNAM

DELHI
• 635, Opp. Signature View Apartments, Banda Bahadur Marg, Mukherjee Nagar
• 2nd Floor, Apsara Arcade, Near Metro Gate 6, 1/8 B, Pusa Road, Karol Bagh
• Contact : 8468022022, 9019066066, 9650617807
JAIPUR 9001949244 | PUNE 8007500096 | HYDERABAD 9000104133 | AHMEDABAD 9909447040 | LUCKNOW 8468022022

अदालत में अयोध्या

सियासी और धार्मिक रूप से संवेदनशील राम जन्मभूमि मामले पर मंगलवार से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी, हर पक्ष अपनी दलीलों के साथ तैयार है

वैज्ञानिक साक्ष्य है एएसआइ रिपोर्ट, फैसला आना बाकी

माला दीक्षित, नई दिल्ली

- रामजन्मभूमि मामले पर सुनवाई कल
- एएसआइ की रिपोर्ट के मुताबिक विवादित ढांचे के नीचे पहले मंदिर था
- 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के रेफरेंस को बिना जवाब के लौटाया

राजनीतिक और धार्मिक रूप से संवेदनशील अयोध्या राम जन्मभूमि मामले पर मंगलवार से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी। हर पक्ष अपनी दलीलों के साथ तैयार है। कोर्ट के सामने मुख्य मुद्दा यही है कि क्या विवादित स्थल पर पहले कोई मंदिर था और क्या उसे तोड़ कर मस्जिद बनाई गई थी। इस बात का जवाब विवादित स्थल की खोदाई करने वाले भारत पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) की रिपोर्ट में मिलता है। इसमें कहा गया है कि विवादित ढांचे के नीचे मिली विशाल संरचना उत्तर भारत के मंदिर से मेल खाती है। यानी वहां पहले मंदिर था। एएसआइ की यह रिपोर्ट वैज्ञानिक साक्ष्य है। हाईकोर्ट के फैसले में रिपोर्ट आधार बनी थी और अब सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर एक अगस्त 2002 और 23 अक्टूबर 2002 को विवादित स्थल के नीचे जियो रेडियोलाजिकल सर्वे का आदेश दिया था। तोजो विकास इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड ने ये सर्वे किया और 17 फरवरी 2003 को हाईकोर्ट को रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में जमीन के नीचे कुछ विसंगतियां पायी गईं जिसे देखते हुए हाईकोर्ट ने पांच मार्च 2003 को एएसआइ को विवादित स्थल की खोदाई करने का आदेश दिया था। एएसआइ ने खोदाई करने के बाद 25 अगस्त 2003 को हाईकोर्ट में रिपोर्ट दी थी। राम जन्मभूमि मामले में हाईकोर्ट के सितंबर 2010 में दिये गए फैसले में इसी रिपोर्ट के आधार पर तीन में से दो न्यायाधीशों ने अपने फैसले में माना कि विवादित ढांचा हिंदू मंदिर तोड़कर बनाया गया था। एएसआइ को खोदाई का आदेश देने वाली पीठ में शामिल रहे सेवानिवृत न्यायाधीश सुधीर नारायण कहते हैं कि उस वक्त कोर्ट के सामने कानूनी सवाल था कि पहले वहां मंदिर था कि नहीं। इसी का पता लगाने के लिए एएसआइ को खोदाई का आदेश दिया था। एएसआइ की रिपोर्ट आ गई है। वह वैज्ञानिक साक्ष्य है। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है और उसे फैसला लेना है।

एएसआइ रिपोर्ट के निष्कर्ष में कहा गया कि 'विवादित स्थल के ठीक नीचे एक विशाल संरचना थी और लगातार निर्माण के साक्ष्य हैं जो कि दसवीं शताब्दी से लेकर विवादित ढांचा बनने तक जारी रहा। यहां से नक्काशीदार ईंटें, देवताओं की युगल खंडित मूर्ति और नक्काशीदार वास्तुशिल्प, जिसमें पत्तों के गुच्छे, अमालका, कपोतपाली, दरवाजों के हिस्से, कमल की आकृति, गोलाकार (श्राइन) पूजा स्थल जैसी चीजें मिली हैं। इसमें उत्तर की ओर निकला एक परनाला भी है। उस बड़े ढांचे में पचास खंभों का आधार मिला है। ये अवशेष उत्तर भारत के मंदिरों की खासियत से मेल खाते हैं'। एएसआइ ने रिपोर्ट के चैप्टर चार में स्ट्रक्चर (संरचना या ढांचा) शीर्षक में खुदाई में मिली संरचना का विवरण है।

एएसआइ रिपोर्ट का निष्कर्ष, 1993 में राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा के रिफरेंस भेजकर सुप्रीम कोर्ट से पूछे गए सवाल का जवाब भी है। तत्कालीन राष्ट्रपति ने रिफरेंस भेजकर पूछा था कि क्या अयोध्या में विवादित ढांचे से पहले वहां हिंदू मंदिर था। पांच जजों की पीठ ने तत्कालीन राष्ट्रपति के इस सवाल को अनावश्यक बताते हुए बगैर जवाब दिए रिफरेंस वापस कर दिया था। पांच में से दो जज ने अलग से दिए फैसले में कहा था कि ऐसा नहीं है कि कोर्ट सवाल का जवाब देने में सक्षम नहीं है। जवाब दिया जा सकता है अगर इस बारे में पुरातत्व और इतिहासकारों के विशेषज्ञ साक्ष्य हों और उन्हें जिरह में परखा जाए तो।' लेकिन अब वैज्ञानिक अध्ययन उपलब्ध है।

25 से 31 जुलाई तक दक्षिण पूर्व रेलवे ने ट्रेनों में यात्रियों से वसूली करने किन्नरों के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान आद्रा, चक्रधरपुर, रांची और खड़गपुर डिवीजन में 66 किन्नरों को गिरफ्तार किया गया। इन लोगों से 26 हजार से अधिक का जुर्माना वसूला गया है।

धांधली ▸ सोसाइटी के नाम दर्ज की गई 1305 बीघा सरकारी भूमि

सोनभद्र में नियम-कानून की खूब उड़ीं धज्जियां

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सार्वजनिक किए जांच समिति की रिपोर्ट के निष्कर्ष

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के उभ्भा गांव में बीती 17 जुलाई को हुए नरसंहार की जड़ें जिस जमीन से जुड़ी हैं, वह सरकारी भूमि थी। बंजर खाते में दर्ज ग्राम समाज की 1305 बीघा जमीन को 64 साल पहले एक तथाकथित सोसाइटी के नाम दर्ज करने के बाद नियम कानून की धज्जियां उड़ाकर उसे चंद रसूखदार हाथों में सौंपने और बेचने-खरीदने का जो सिलसिला शुरू हुआ, उसमें सरकारी मुलाजिमों ने भी खूब हाथ धोया। धांधली के इस सिलसिले की परिणति बीती 17 जुलाई को उभ्भा में हुए जघन्य हत्याकांड के रूप में सामने आयी। सोनभद्र नरसंहार से जुड़े घटनाक्रम और गतिविधियों की जांच के लिए अपर मुख्य सचिव राजस्व रेणुका कुमार की अध्यक्षता में गठित समिति की रिपोर्ट में यह तथ्य सामने आये हैं। समिति की जांच रिपोर्ट मिलने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को उसके निष्कर्षों को सार्वजनिक किया।

बिना दस्तावेज समिति ने अपनी बतायी 1452 बीघा जमीन : जांच समिति ने पाया कि 10 अक्टूबर 1952 को गठित आदर्श कृषि सहकारी समिति, उभ्भा/सपही के मुख्य प्रवर्तक महेश्वर प्रसाद नारायण सिंह और प्रबंधक दुर्गा प्रसाद राय सहित कुल 12 सदस्य थे। सोसाइटी का गठन ही विवाद का मूल कारण है। यह सोसाइटी बिहार के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता व उप्र के पूर्व राज्यपाल चंद्रेश्वर प्रसाद नारायण सिंह के चाचा महेश्वर प्रसाद नारायण सिंह द्वारा गठित की गई थी। महेश्वर प्रसाद नारायण बिहार से कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सदस्य और एमएलसी भी रहे। पंजीकरण के समय समिति ने दर्शाया था कि ग्राम उभ्भा में 727 बीघा और ग्राम सपही में 725 बीघा जमीन उसके सदस्यों की है लेकिन इस बारे में कोई सरकारी दस्तावेज नहीं प्रस्तुत किये गए थे। सिर्फ गाटा संख्या और रकबे की हाथ से लिखी सूची प्रस्तुत की गई थी।

ग्रामसभा की निकली 1305 बीघा जमीन : समिति द्वारा दर्शायी गई जमीनों के बारे में जब जांच समिति ने आधार वर्ष फसली सन् 1359 (वर्ष 1952) की खतौनी से मिलान किया तो पाया कि ग्राम उभ्भा की 641 बीघा और सपही की 664 बीघा कुल 1305 बीघा जमीन बंजर खाते की है, जो ग्रामसभा की होती है।

गैर कानूनी तरीके से समिति के नाम दर्ज की जमीन : राबर्ट्सगंज के तत्कालीन तहसीलदार कृष्ण मालवीय ने 17 दिसंबर 1955 को आदेश पारित कर ग्राम उभ्भा की बंजर खाते की कुल 258 गाटा रकबा 641 बीघा और सपही की 123 गाटा रकबा 693 बीघा तीन बिस्वा जमीन आदर्श कोआपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी लिमिटेड उभ्भा/सपही के नाम दर्ज कर दी। इस सोसाइटी का नाम वर्ग-2 सीरदार के रूप में खतौनी में दर्ज किया गया। राबर्ट्सगंज के तत्कालीन तहसीलदार के उस आदेश की फाइल जांच समिति को नहीं मिल पायी। केवल तहसीलदार के आदेश की प्रति रजिस्टर नंबर आर-6 पर अंकित है। तहसीलदार का यह आदेश गलत ही नहीं, उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर था क्योंकि बंजर खाते की ग्रामसभा की जमीन किसी व्यक्ति/समिति के नाम दर्ज कराने का अधिकार उसे था ही नहीं। किस धारा और अधिकार के तहत यह आदेश पारित किया गया और इसके पक्षकार कौन हैं, इसका जिक्र भी आदेश में नहीं है।

जमीन बेचने का ऐसे खुला रास्ता : वर्ष 1985-90 के बीच के 50 गाटे रकबा 524 बीघा चार बिस्वा और सपही के 57 गाटा रकबा 435 बीघा 15 बिस्वा जमीन पर सहकारी समिति को संक्रमणीय अधिकार (भूमि को बेचने का हक) प्रदान किये गए। आइएएस अधिकारी प्रभात कुमार मिश्रा की पत्नी आशा मिश्रा और आइएएस अधिकारी भानु प्रताप शर्मा की पत्नी विनीता शर्मा उर्फ किरन कुमारी द्वारा लैंड रिवेन्यू एक्ट, 1901 की धारा 33/39 के तहत दाखिल दो मुकदमों में एसडीओ राबर्ट्सगंज अशोक कुमार श्रीवास्तव ने छह सितंबर 1989 को आदेश पारित किया गया।

गैरकानूनी तरीके से दो महिलाओं के नाम दर्ज की गई भूमि : इस आदेश के द्वारा उभ्भा और सपही गांवों में समिति के नाम दर्ज जमीनों में से लगभग 18-18 हेक्टेयर जमीन आशा मिश्रा और विनीता शर्मा के नाम दर्ज कर दी गई।

एसडीओ ने अपने अधिकारों से परे जाकर यह आदेश पारित किया क्योंकि धारा 33/39 सिर्फ गलतियों को ठीक करने के लिए है। इस धारा के तहत स्वत्व निर्धारण का आदेश पारित नहीं किया जा सकता। विनीता शर्मा ने 17 अक्टूबर 2017 को प्रधान पक्ष के लोगों को 18.211 हेक्टेयर और आशा मिश्रा ने 18.209 हेक्टेयर जमीन बेची। प्रधान पक्ष के लोगों ने वर्ष 2018 में राजस्व विभाग और पुलिस की मदद से बैनामे की भूमि पर कब्जा करने का प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हुए।

तीन पीढ़ियों से खेती कर रहे थे ग्रामीण

जांच समिति ने मौका मुआयना करने पर पाया कि आदर्श कृषि सहकारी समिति की भूमि पर उभ्भा और सपही गांवों के लगभग 140 परिवार तीन पीढ़ियों से खेती करते चले आ रहे हैं। इसके लिए वे समिति के प्रतिनिधि नीरज राय को प्रतिवर्ष आपसी सहमति के आधार पर तय धनराशि का भुगतान करते थे। 17 अक्टूबर 2017 को प्रधान पक्ष के लोगों को जमीन का बैनामा किये जाने के बाद उन्होंने धनराशि का भुगतान करना बंद कर दिया।

बिना जांच प्रधान के नाम कर दी गई जमीन

सोनभद्र के सहायक अभिलेख अधिकारी राजकुमार ने बैनामे के आधार पर ग्रामीणों की तमाम गंभीर आपत्तियों और विधिक व्यवस्था के विपरीत जाकर बिना कोई जांच किये 27 फरवरी 2019 को प्रधान के पक्ष में जमीन के नामांतरण का आदेश पारित कर दिया।

सपा के पूर्व विधायक का करीबी है प्रधान

योगी ने बताया कि 17 जुलाई को सोनभद्र में हुए नरसंहार का मुख्य अभियुक्त ग्राम प्रधान यज्ञदत्त दबंग प्रवृत्ति का व्यक्ति और समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक रमेश चंद्र दुबे का करीबी रहा है। पिछले चुनाव में उसने सपा का प्रचार भी किया था। उसके भाई को वर्ष 2017 से पूर्व सड़क निर्माण का ठेका मिला था।

जिलाधिकारी ने भी नहीं सुनी

नामांतरण आदेशों के खिलाफ ग्रामीणों ने जिलाधिकारी सोनभद्र के समक्ष 11 अपीलें दायर की। जिलाधिकारी ने छह जुलाई 2019 को इन अपीलों को मात्र तकनीकी आधार पर खारिज कर दिया। हालांकि जिलाधिकारी न्यायालय में नामांतरण आदेश के खिलाफ बिहार के वैशाली जिले के शहजादपुर गांव के प्रकाश नारायण सिंह की ओर से दो अपील दाखिल की गई हैं जिनका निस्तारण अभी लंबित है और अगली सुनवाई नौ अगस्त को होनी है।

ग्रामीणों पर गुंडा एक्ट

मामला तूल पकड़ने पर पुलिस प्रशासन ने ग्रामीणों के खिलाफ एफआइआर दर्ज कर गुंडा एक्ट में भी कार्रवाई की लेकिन प्रधान पक्ष के लोगों के खिलाफ कोई निरोधात्मक कार्रवाई नही की गई जिससे उनका मनोबल बढ़ा। अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन ने भी जांच में पाया कि पुलिस ने पक्षपातपूर्ण कार्रवाई की।

दो आइएएस अफसरों की पत्नियों पर भी दर्ज होगा मुकदमा

प्रथम पृष्ठ से आगे

वर्ष 1989 में सोसाइटी की भूमि जो मूलतः ग्राम सभा की थी उसे अपने नाम दर्ज कराने के लिए दो आइएएस अधिकारियों की पत्नियों पर मुकदमा दर्ज होगा। ये हैं आइएएस प्रभात कुमार मिश्र की पत्नी आशा मिश्रा तथा आइएएस भानुप्रताप शर्मा की पत्नी विनीता शर्मा उर्फ किरन कुमारी।

समिति के संस्थापक सदस्यों पर भी लटकी मुकदमे की तलवार : मुख्यमंत्री योगी ने बताया कि 10 अक्टूबर 1952 को बिहार के कांग्रेस पार्टी के एमएलसी ने अपने 12 नाते रिश्तेदारों के नाम से आदर्श कृषि सहकारी समिति, उभ्भा का गठन किया और करीब 1300 बीघा जमीन गलत तरीके से इसी सोसाइटी के नाम आवंटित कर दी गई। अगर 12 सदस्य जीवित होंगे तो ग्राम सभा की जमीन हड़पने के लिए उन पर भी मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई होगी।

कांग्रेस और सपा को ठहराया जिम्मेदार : मुख्यमंत्री ने इस अवैध कब्जे के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया है। उन्हेंने बताया कि 10 अक्टूबर, 1952 में बिहार के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और उप्र के पूर्व राज्यपाल चंद्रेश्वर प्रसाद नारायण सिंह के चाचा महेश्वर प्रसाद नारायण सिंह और दुर्गा प्रसाद राय ने ग्राम सभा की भूमि को सोसाइटी के नाम कराया।

जैमर के साये में होगी एसएससी की परीक्षा

राज्य ब्यूरो, प्रयागराज

- नकल रोकने के लिए कर्मचारी चयन आयोग ने किया महत्वपूर्ण निर्णय
- मल्टी टॉस्किंग स्टाफ की परीक्षा से होगी जैमर लगाने की शुरुआत

नकलविहीन, निर्विघ्न व निष्पक्ष परीक्षा कराने के लिए कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) निरंतर अपनी प्रणाली में बदलाव कर रहा है। तकनीक के जरिये एसएससी परीक्षा संचालन का उचित प्रबंध करने के लिए जाना जाता है। नई पहल करते हुए एसएससी ने परीक्षा केंद्रों में जैमर लगाने का निर्णय किया है। इसकी शुरुआत एमटीएस (मल्टी टॉस्किंग स्टाफ) 2019 परीक्षा से हो जाएगी। पांच अगस्त सोमवार को जिन-जिन केंद्रों में एमटीएस की परीक्षा होगी वहां जैमर लगा रहेगा। इसके बाद एसएससी की हर परीक्षा के दौरान केंद्रों में जैमर लगाया जाएगा। एसएससी ने यह कदम परीक्षा केंद्र के आस-पास मोबाइल की नेटवर्किंग ध्वस्त करने के लिए उठाया है।

एसएससी की हर परीक्षा ऑनलाइन मोड में होती है। बीती कुछ परीक्षाओं में अभ्यर्थियों के मोबाइल लेकर केंद्र में पहुंचने की शिकायत मिली थी, जिन्हें जल्द ही पकड़ लिया गया है। हर केंद्र प्रभारी को कड़ा निर्देश दिया गया है कि मोबाइल लेकर कोई परीक्षार्थी प्रवेश न करने पाए, उसके लिए गेट पर गहन चेकिंग की जाती है। इसके साथ ही जैमर लगाने का निर्णय किया गया है ताकि जांच में चकमा देकर कोई मोबाइल अंदर लेकर चला भी जाए तो उससे कोई मदद नहीं ले पाएगा।

> 'एसएससी की परीक्षाएं नकलविहीन बनाने के लिए हर केंद्र में जैमर लगाने का निर्णय किया गया है। साथ ही कोई युवक दूसरे की जगह परीक्षा न दे सके उसके लिए जन्म की तारीख व सन का मिलान गेट पर ही किया जाएगा।'
>
> **-राहुल सचान, निदेशक, कर्मचारी चयन आयोग (मध्य क्षेत्र)**

जन्म तारीख का होगा मिलान : एमटीएस की दो अगस्त की परीक्षा में लखनऊ में एक युवक दूसरी की जगह परीक्षा देते पकड़ा गया है। आगे कोई युवक दूसरे की जगह परीक्षा केंद्र में प्रवेश न करने पाए उसके लिए गेट पर सबके नाम, फोटो के साथ जन्म तारीख का भी मिलान होगा। नए आदेश में सारे परीक्षा केंद्र प्रभारियों को गेट पर ही परीक्षार्थी के प्रवेश पत्र और उनके द्वारा फार्म में भरी गई जन्म की तारीख व सन का मिलान करने का निर्देश दिया गया है ताकि कोई धांधली न होने पाए।

छात्रा के आधार से जुड़ा स्कूल का बैंक खाता, निकाले साढ़े छह लाख

जासं, श्रीबंशीधर नगर (गढ़वा) : आधार नंबर की गलत फीडिंग वित्तीय लेनदेन में कितनी जोखिम भरी हो सकता है इसका ताजा उदाहरण गढ़वा के धुरकी में देखने को मिला। यहां गलत आधार नंबर की फीडिंग से एक स्कूल के विकास मद के 6 लाख 47 हजार रुपये छात्रा के खाते में चले गए। सीएसपी संचालक की मिलीभगत से उक्त पैसों की निकासी कर ली गई। स्कूल के प्रधानाध्यापक ने धुरकी थाना में मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने आरोपित छात्रा व सीएसपी संचालक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। छात्रा की निशानदेही पर पुलिस ने डंडई निवासी उसकी बड़ी बहन अर्चना के घर से 3.84 लाख रुपये बरामद कर लिए हैं।

श्रीबंशीधर नगर के एसडीपीओ नीरज कुमार ने बताया कि धुरकी थाना क्षेत्र के टाटीदीरी हाई स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा ज्योति कुमारी का आधार नंबर विद्यालय के विकास फंड के खाते से गलत तरीके से लिंक हो गया। छात्रा को जब इसकी भनक लगी तो उसने सीएसपी संचालक दानिश अहमद के मिलीभगत से मार्च महीने से मई महीने तक करीब 90 बार में विकास फंड के 6.47 लाख रुपये की निकासी कर ली। शनिवार को विद्यालय के प्रधानाध्यापक और समिति के लोगों ने इसकी शिकायत धुरकी थाने में की। छात्रा ने पूछताछ में बताया कि पैसे उसने अपनी बड़ी बहन को रखने दिए हैं। इसके बाद पुलिस ने 3.84 लाख रुपये बरामद कर लिए। शेष राशि के संबंध में ज्योति ने कहा कि वह बहनोई के इलाज में खर्च हो गए हैं। ज्योति ने इसी वर्ष माध्यमिक परीक्षा उक्त इसी विद्यालय से उत्तीर्ण की है।

ओडिशा में पानी के लिए जंग, दो की मौत

जेएनएन, भुवनेश्वर : खेत की सिंचाई के लिए तालाब के पानी का इस्तेमाल करने को लेकर दो गांवों के बीच छिड़ी जंग में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 से अधिक लोग घायल हो गए। यह घटना कटक जिले के नरसिंहपुर थाना क्षेत्र के चामुंडापल्ली गांव की है। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

चामुंडापल्ली गांव में स्थित एक तालाब से खेत की सिंचाई करने के लिए पानी लेने की बात को लेकर सागर एवं पांचगोच्छिया गांव के बीच पिछले 23 जुलाई से विवाद चल रहा था। इस संदर्भ में तहसीलदार का भी ध्यान आकर्षित कराया गया था। इस पर तहसीलदार ने 25 जुलाई को दोनों गांव के लोगों को बुलाकर इस विवाद का समाधान करने का प्रयास किया था। लेकिन दोनों गांव के लोगों में पानी को लेकर असंतोष बना रहा, जिसने रविवार को उग्र रूप धारण कर लिया। रविवार को सुबह होते ही सागर एवं पांचगोच्छिया गांव के लोग चामुंडापल्ली स्थित तालाब पर पहुंचे। इसके बाद पानी को लेकर दोनों गांव के लोगों में खूनी संघर्ष हो गया। इसमें सागर गांव के श्रीधर सामल और पांचगोच्छिया गांव के हरिहर बेहरा की मौत हो गई। वहीं, दोनों तरफ से 10 से अधिक लोग घायल हो गए।

सही दिशा में आगे बढ़ रहा अपना चंद्रयान-2

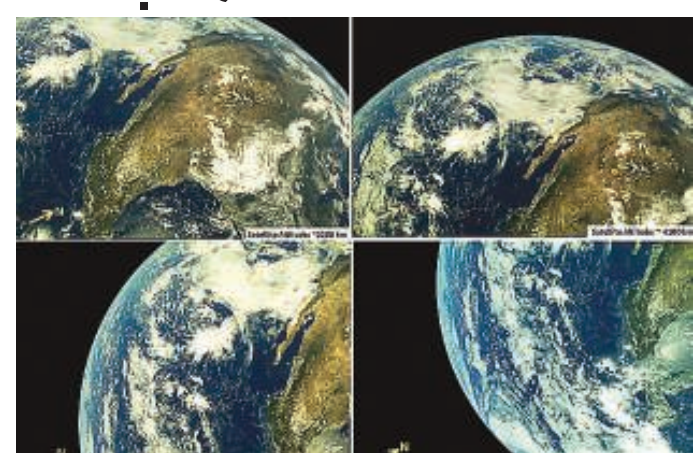

नई दिल्ली, प्रेट्र : चांद की ओर रवाना हुए भारत के चंद्रयान-2 ने अंतरिक्ष से धरती की तस्वीरें भेजी हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने रविवार को चंद्रयान-2 द्वारा खींची गई तस्वीरों का पहला सेट जारी किया। तस्वीरें यान पर लगे कैमरा एल-14 की मदद से खींची गई हैं। यान ने शनिवार को ये तस्वीरें खींची थीं। चंद्रयान-2 के रवाना होने के बाद से सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें आ चुकी हैं, जिनको लेकर दावा किया गया कि इन्हें चंद्रयान-2 ने भेजा है। हालांकि इसरो ने स्पष्ट किया कि उन तस्वीरों का चंद्रयान-2 से संबंध नहीं है। 2008 में भेजे गए चंद्रयान-1 की सफलता के बाद भारत का यह दूसरा चंद्र अभियान है।

चंद्रयान-2 को 22 जुलाई को आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लांच किया गया था। यान को इसरो के सबसे बड़े रॉकेट जीएसएलवी-मार्क 3 की मदद से प्रक्षेपित किया गया था। इस रॉकेट को 'बाहुबली' नाम भी दिया गया है। चंद्रयान-1 ऑर्बिटर अभियान था। इसमें यान ने 10 महीने चांद का चक्कर लगाया था। चंद्रयान-2 में ऑर्बिटर के साथ-साथ लैंडर और रोवर भी हैं। तय योजना के अनुसार, लैंडर-रोवर छह सितंबर को चांद के दक्षिणी ध्रुव के उस हिस्से पर कदम रखेंगे, जहां अब तक कोई यान नहीं उतरा है। चांद पर सफल लैंडिंग के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश होगा। अब तक केवल अमेरिका, रूस और चीन ने अपना यान चांद पर उतारा है।

चंद्र मिशन पर निकले चंद्रयान-2 ने पृथ्वी की खूबसूरत तस्वीरें भेजी हैं। ये तस्वीरें तीसरी बार कक्षा बदलने के बाद विशेष किस्म के कैमरे से खींची गई हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने ये तस्वीरें जारी की है। चंद्रयान-2 सफलतापूर्वक अपनी यात्रा पर अग्रसर है। इसरो के मुताबिक, 29 जुलाई को चंद्रयान-2 ने धरती की तीसरी कक्षा में प्रवेश किया था। कक्षा में परिवर्तन के लिए चंद्रयान में मौजूद प्रोपेलिंग सिस्टम का 989 सेकेंड तक इस्तेमाल किया गया। प्रेट्र

मप्र में मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए अध्यात्म विभाग ने मांगे 10 करोड़

भोपाल, नईदुनिया ब्यूरो

- नियमानुसार कैंपा फंड नहीं दी जा सकती धनराशि, वन अफसर असमंजस में

मध्य प्रदेश के सार्वजनिक (शासकीय) मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए अध्यात्म विभाग ने कैंपा (कंपनसेट्री एफोरेस्ट्रेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी) फंड से 10 करोड़ रुपये की मांग की है। इसके लिए अध्यात्म विभाग ने वन विभाग को नोटशीट भेजी है। अब वन विभाग के अधिकारी प्रस्ताव को लेकर मंथन में जुटे हैं, क्योंकि 10 अगस्त 2018 को जारी नियमों के तहत कैंपा फंड से मंदिरों के लिए राशि नहीं दी जा सकती है।

प्रदेश में सैकड़ों मंदिरों के भवन खस्ताहाल हैं। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव से पहले ऐसे मंदिरों के जीर्णोद्धार का वादा किया था। ऐसे धार्मिक स्थलों के लिए विशेष पैकेज मंजूर कर वहां बुनियादी सुविधाएं दी जानी थीं। पार्टी ने वचन पत्र में भी इसे प्रमुखता से रखा था, लेकिन अभी सरकार की आर्थिक स्थिति खराब है। ऐसे में सरकार के इसी वादे को पूरा करने के लिए अध्यात्म विभाग ने कैंपा फंड से राशि जुटाने की कोशिश की।

सूत्रों के मुताबिक, कैंपा शाखा से जुड़े अधिकारी मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए 10 करोड़ रुपये अध्यात्म विभाग को देने को तैयार भी हो गए थे। इसलिए विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर सीधे वन विभाग को भेज दिया। दो दिन पहले वन विभाग पहुंचे इस प्रस्ताव पर वरिष्ठ अफसरों ने आपत्ति जाहिर की। उनका कहना था कि कैंपा फंड के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से तय गाइडलाइन के तहत मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए राशि नहीं दी जा सकती है। हालांकि सरकार की प्राथमिकता के काम के लिए राशि मांगी जा रही है, इसलिए सीधे तौर पर अफसर मना भी नहीं कर पा रहे थे। अब नियम निकालने को कहा गया है, ताकि अध्यात्म विभाग को साफतौर पर राशि देने से इनकार किया जा सके।

> कैंपा में मंदिर जीर्णोद्धार के लिए राशि देने का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए अध्यात्म विभाग से आई नोटशीट वापस लौटा दी है।
>
> **-एबी गुप्ता, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैंपा**

मिसाइल का परीक्षण

ओडिशा के बालासोर स्थित तीन नंबर लांचिंग सेंटर से रविवार को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) ने क्यूआरएसएएम (क्विक रिएक्सन सर्फेस टू एयर मिसाइल) का परीक्षण किया। परीक्षण सुबह 11 बजकर 5 मिनट पर किया गया है। कम दूरी तक मार करने वाली इस मिसाइल की मारक क्षमता 30 किलोमीटर है। यह जमीन से हवा में भी मार करने में सक्षम है। इसे बीईएल की मदद से सेना वाहिनी के लिए विकसित किया गया है। इस मिसाइल के मिल जाने के बाद सेना की ताकत में और इजाफा हो जाएगा। एएनआइ

बालासोर में क्यूआरएसए मिसाइल का सफल परीक्षण

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर

- दुश्मन के टैंक, युद्ध विमान तथा एयरक्राफ्ट को मार गिराने में सक्षम है क्यूआरएसएएम
- दो घंटे के अंतराल में दो बार किया गया परीक्षण, 30 किलोमीटर है मिसाइल की मारक क्षमता

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) ने रविवार को ओडिशा के बालासोर स्थित तीन नंबर लांचिंग केंद्र से क्विक रिएक्शन सर्फेश टू एयर मिसाइल (क्यूआरएसएएम) का सफल परीक्षण किया। यह परीक्षण सुबह 11 बजकर 5 मिनट पर किया गया।

सतह से हवा में मार करने वाली स्वदेश निर्मित क्यूआरएसएएम में एक साथ कई लक्ष्यों पर निशाना साधने की क्षमता है। यह मिसाइल 30 किमी की दूरी तक प्रहार करने की क्षमता रखती है तथा इसे त्वरित प्रतिक्रिया वाली मिसाइल के रूप में तैयार किया गया है। इस मिसाइल में हर मौसम में काम करने वाली सशस्त्र प्रणाली है। साथ ही यह मिसाइल लक्ष्य को पहचानने व उस पर निशाना लगाने की विशेष क्षमता से भी युक्त है। एलसी-3 परीक्षण रेंज से एक ट्रक पर लगे केमिस्टर के लांचर से इस मिसाइल का दो घंटे के अंतराल में दो बार परीक्षण किया गया।

इस मिसाइल में लगी सभी प्रोद्यौगिकी और उपप्रणालियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है और मिशन की सभी जरूरतों को पूरा किया है। सभी रडारों, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल प्रणाली, टेलीमेट्री प्रणाली और अन्य स्टेशनों से मिसाइल पर निगरानी रखी गई।

इससे पहले 16 फरवरी 2016 और 4 जून 2017 को इसका सफल परीक्षण किया गया था। डीआरडीओ ने इस मिसाइल को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की मदद से सेना वाहिनी के लिए विकसित किया है। यह दुश्मन के टैंक, युद्ध विमान तथा एयरक्राफ्ट को आसानी से मार गिराने में सक्षम है। इस मिसाइल के सफल परीक्षण के बाद वैज्ञानिकों ने खुशी जाहिर की है। उल्लेखनीय है कि भारतीय सेना क्यूआरएसएएम का इससे पहले लगातार दो बार सफल परीक्षण कर अपनी ताकत का प्रदर्शन कर चुकी है।

चारा घोटाला

सीबीआइ ने बिहार के बहुचर्चित चारा घोटाले के मुख्य आरोपित श्यामबिहारी सिन्हा के घर 1996-97 में मारा था छापा, घर से बरामद किए थे 2.48 करोड़ रुपये, ज्वेलरी और गोल्ड बांड

आरोपित की संपत्ति पर आयकर विभाग ने ठोंका दावा

मनोज कुमार सिंह, रांची

- इनकम टैक्स विभाग ने अघोषित संपत्ति को देखते हुए जुर्माने के साथ सिन्हा को भेज रखा है 16 करोड़ का नोटिस
- सीबीआइ ने किया विरोध, कहा सरकार की है जब्त संपत्ति

बिहार के बहुचर्चित चारा घोटाले के मास्टरमाइंड रहे श्यामबिहारी सिन्हा के घर से बरामद संपत्ति पर आयकर (इनकम टैक्स) विभाग ने दावा ठोंका है। विभाग का कहना है कि एसबी सिन्हा के घर से बरामद 2.5 करोड़ रुपये, गोल्ड बांड और ज्वेलरी को उन्हें सौंप दिया जाए, ताकि इस संपत्ति को टैक्स में समायोजित किया जा सके। ज्ञात हो कि बिहार में क्षेत्रीय पशुपालन अधिकारी और संयुक्त निदेशक रहते हुए श्यामबिहारी सिन्हा बिहार के पशुपालन घाटाले के मास्टरमाइंड रहे हैं। मामले में सुनवाई के दौरान ही 1998 में उनकी मौत हो चुकी है।

दरअसल चारा घोटाला सामने आने के बाद सीबीआइ ने वर्ष 1996-97 में एसबी सिन्हा के घर पर छापेमारी की थी। इस दौरान सीबीआइ ने उनके घर से 2.48 करोड़ रुपये, गोल्ड बांड और भारी मात्रा में च्वैलरी बरामद हुई थी। सीबीआइ ने बरामद संपत्ति को एसबीआइ में जमा करा दिया था। इसी बीच आयकर विभाग ने एसबी सिन्हा की अघोषित संपत्ति को देखते हुए जुर्माने के साथ 16 करोड़ रुपये कर (टैक्स) जमा करने का नोटिस भेज दिया। उधर चारा घोटाला मामले में सुनवाई के दौरान अदालत ने 2001 में सीबीआइ की अनुशंसा पर एसबी सिन्हा की चल-अचल संपत्ति को अटैच कर दिया। इसके खिलाफ एसबी सिन्हा के पुत्र रवि सिन्हा ने हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया, लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिली।

चारा घोटाले पर आयकर विभाग ने कार्रवाई की है।

सीबीआइ कोर्ट से राशि रिलीज करने की गुहार : सुप्रीम कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद आयकर विभाग ने 2013-14 में सीबीआइ की विशेष अदालत में अर्जी दाखिल कर एसबी सिन्हा के घर से बरामद ढाई करोड़ रुपये रिलीज करने की गुहार की। आवेदन में कहा गया कि जब्त राशि को आयकर विभाग को सौंप दिया जाए, ताकि एसबी सिन्हा के बकाया टैक्स में इसे समायोजित किया जा सके। दरअसल एसबी सिन्हा के घर से बरामद संपत्ति को अभी तक अटैच नहीं किया गया है।

सुनवाई के दौरान सीबीआइ ने इनकम टैक्स के आवेदन का विरोध किया और कहा कि यह संपत्ति राज्य सरकार की है। इसे आयकर विभाग को नहीं देना चाहिए। सुनवाई के बाद सीबीआइ कोर्ट ने आयकर विभाग के आवेदन को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि इससे संबंधित मामले में हाई कोर्ट में लंबित है, इसलिए अदालत जब्त राशि को निर्गत करने का आदेश नहीं दे सकती है। सीबीआइ कोर्ट के आदेश के खिलाफ 2016 में आयकर विभाग ने झारखंड हाई कोर्ट में याचिका (डब्ल्यूपीसीआर-132-2016) दाखिल की। इस मामले में सुनवाई जारी है।

मप्र के मंत्री-विधायकों को सही आय बताने के लिए आयकर विभाग ने भेजा समन

भोपाल, नई दुनिया

- हलफनामे और टैक्स रिटर्न से मेल नहीं खा रहा संपत्ति का ब्योरा
- चुनाव आयोग को भेजा जाएगा नेताओं की संपत्ति का पूरा लेखा-जोखा

आयकर विभाग द्वारा मध्य प्रदेश के करीब सौ विधायक और पूर्व विधायकों से उनकी संपत्ति और आय का स्रोत पूछने से जनप्रतिनिधियों में हड़कंप की स्थिति है। विधानसभा चुनाव के दौरान नामांकन पत्र के साथ हलफनामे में उन्होंने संपत्ति का जो ब्योरा दिया था, उससे आयकर विभाग संतुष्ट नहीं है। उनकी संपत्ति में काफी अंतर दिख रहा है, इसलिए धारा 131 के तहत समन भेजे जा रहे हैं। हाल ही में एक मंत्री सहित करीब 20 विधायक और पूर्व विधायक को आयकर विभाग ने यह चिट्ठी भेजी है।

चुनाव आयोग ने नामांकन पत्र के साथ मिले सभी उम्मीदवारों के हलफनामे आयकर विभाग को सौंपकर रिपोर्ट मांगी है। इस हलफनामे की जानकारियों का आयकर विभाग ने उसके पास मौजूद इन विधायकों-पूर्व विधायकों के आयकर विवरण (आइटी रिर्टन) से मिलान किया है। करीब सौ विधायकों की आय और संपत्ति का ब्योरा पुरानी जानकारी से कहीं ज्यादा निकल रहा है, इसलिए विभाग ने समन भेजकर सभी से हिसाब-किताब संबंधी संपत्ति के मूल दस्तावेज तलब कर लिए हैं।

इन्हें भी भेजे गए समन : आयकर विभाग ने जिन लोगों की संपत्ति का ब्योरा तलब किया है, उनमें नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव भी शामिल हैं। भार्गव ने बताया कि उन्हें आयकर विभाग की ओर से समन मिला है। विभाग ने उनसे पांच साल पुराने हलफनामे और मौजूदा ब्योरे के बारे में जानकारी मांगी, जो कि भेजी जा रही है। पशुपालन मंत्री लाखन सिंह यादव और पूर्व मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा से भी विभाग ने यह जानकारी तलब की है। सपा की पूर्व विधायक मीरा यादव के अलावा भारत सिंह कुशवाह, राहुल लोधी, आलोक चतुर्वेदी, राकेश गिरी गोस्वामी, शशांक भार्गव, संजीव सिंह कुशवाह और रणवीर सिंह जाटव भी शामिल हैं।

कई विधायकों की संपत्ति में मिला करोड़ों का अंतर

कई विधायकों की संपत्ति में करोड़ों रुपए का अंतर सामने आया है, इसलिए उनसे दस्तावेजों के साथ इसका जवाब मांगा गया है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के आधार पर चुनाव आयोग यह जानकारी मांगता है। जवाब मिलने के बाद यदि किसी की संपत्ति में गैर अनुपातिक अंतर सामने आता है तो उस पर आयकर विभाग अपनी टैक्स वसूली और अभियोजन जैसी कार्रवाई कर सकता है। साथ ही चुनाव आयोग भी उसके विरद्ध सख्त कार्रवाई कर सकता है। इसलिए आयकर विभाग के इस समन को लेकर राजनेताओं के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई हैं।